संख्या–741 /661/स0ना0उ0/(टीसी)/2004–2005

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

निदेशक
नागरिक उड्डयन,
उत्तरांचल देहरादून।

नागरिक उड्डयनविभाग देहरादून:दिनांक: 15 मार्च,2005

विषय:– जनपद देहरादून में जौलीग्राण्ट हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु ग्राम जौलीग्राण्ट एवं वर्तमान सड़क परिवर्तन के फलस्वरुप ग्राम अठूरवाला की भूमि अर्जन प्रकरणों में अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या–1061/ आठ–वि0भू0अ0/देहरादून/2005, दिनॉक 28 फरवरी,2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम जौलीग्राण्ट की 0.812 हैक्टेएअर भूमि व उस पर स्थित परिसम्पत्तियों तथा वर्तमान ऋषिकेश–डोईवाला मोटर मार्ग परिवर्तन हेतु ग्राम अठूरवाला की 5.9518 हैक्टेएअर भूमि व उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के प्रतिकर के भुगतान हेतु पूर्ववर्ती वर्षो में भूमि अध्याप्ति के फलस्वरुप प्रतिकर के भुगतान हेतु उपलब्ध कराई गई 15,34,89,445.00 की धनराशि कम पड़ जाने के कारण भूमि अर्जन अधिनियम के तहत लम्बित प्रतिकर का भुगतान किये जाने के प्रयोजन से कुल रुपये 2,00,00,000.00 (रुपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम–15 के प्रपत्र के विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग करके व्यय हेतु श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2– उक्त धनराशि के आहरण की अलग से स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है बल्कि इस धनराशि का व्यय हेतु आहरण शासनादेश संख्या–470/61/बजट/स0ना0उ/2004–05 दिनांक 7–10–2004 द्वारा आपके निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा ।

3– इस सम्बन्ध में व्यय विवरण तथा आवश्यक वाउचर आदि जिलाधिकारी सुरक्षित रखेंगे ।

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल तथा वित्त हस्त पुस्तिका के नियम निर्देशों तथा अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति हो,उनमें ब्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

5– प्रतिकर भुगतान से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये ।

6– धनराशि का ब्यय करते समय मितब्ययता सम्बन्धी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

7— स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उक्तानुसार अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अन्यत्र मदों में धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय ।

8— स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31—3—2005 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा ।

9— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004—2005 के अनुदान संख्या—24 के लेखाशीर्षक 5053—नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय —02 विमान पत्तन—00—आयोजनागत—800 अन्य व्यय 03—हवाई पट्टी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान 24—बृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—801 / वि0अनु0—3 / 2004दिनांक 14 मार्च,2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव

संख्या—741 / 661 / स0ना0उ0 / (टीसी) / 2004—2005,समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबरॉय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2— जिलाधिकारी,देहरादून ।
3— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4— विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,देहरादून ।
5— वित्त अनुभाग—3
6— गार्ड बुक।
7— एनआईसी, सचिवालय।
8— पत्रावली संख्या—61 / बजट / 2004—2005 में अभिलेख हेतु ।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव

आय व्ययक-पपत्र–15 पुर्नविनियोग–2004–2005 (हजार में)

आयोजनागत से आयोजनागत
नियन्त्रक अधिकारी, सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तरांचल शासन, प्रशासनिक विभाग, अनुदान संख्या–24
(रूपये हजार में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–1 की अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
5053–नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय 02– विमान पत्तन 800– अन्य व्यय 08–देहरादून में हैलीपैड एवं हैंगर का निर्माण 24–बृहत् निर्माण काय 2,00,00	—	—	2,00,00 (क)	5053–नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय 02– विमान पत्तन 800– अन्य व्यय 03– हवाई पट्टी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान 24– बृहत् निर्माण कार्य 2,00,00(ख)	6,86,95	—	(क) आवश्यकता न होने के कारण (ख) आवश्यकता अधिक व बजट प्राविधान पर्याप्त न होने के कारण
2,00,00	—	—	2,00,00	2,00,00	6,86,95	—	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 151, 15, 156 में उल्लखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(पी०सी०शर्मा)
सचिव ।

वित्त विभाग
वित्त अनुभाग–3
उत्तरांचल शासन ।

संख्या– 801(1)/XXXVII/(3)2005,देहरादून : दिनांक 14 मार्च, 2005

पुर्नविनियोग स्वीकृत

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल
ओबेराय मोटर बिल्डिंग,माजरा,देहरादून।

के०सी० मिश्रा,
अपर सचिव वित्त,

संख्या–741/661/स०ना०उ०/(टीसी)/2004–2005,समदिनांकित

प्रतिलिपि लिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–3

आज्ञा से,

(पी०सी० शर्मा)
सचिव